संख्या– 414167 /ई0 41280 /2026

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1. **समस्त** अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. **समस्त** विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. **आयुक्त** गढ़वाल मण्डल/कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. **समस्त** जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–6 **देहरादूनः दिनांक 17 जुलाई, 2026**

विषयः– राज्य के समस्त शासकीय विभागों में आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल के एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल के अन्तर्गत ई–सर्विस बुक में वार्षिक वेतन वृद्धि सम्बन्धी अंकना पूर्ण किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया,उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड संख्या– 109178/XXVII(6)/ई0–4 1280/2023, दिनांक 24.03.2023 सपठित शासनादेश संख्या–127836/XXVII(6)/ई0– 41280/2023 दिनांक 08.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भित शासनादेशों के माध्यम से कार्मिकों की सेवा पुस्तिका सम्बन्धी समस्त अभिलेख यथाः नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति, ए०सी०पी०, एम०ए०सी०पी० इत्यादि आदेशों सहित सेवापुस्तिका में अंकित किये जाने वाले समस्त सेवा सम्बन्धी विवरण यथासमय ऑनलाईन भरते हुये ई–सेवा पुस्तिका अद्यावधिक किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे। उक्त निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

2. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0एफ0एम0एस पोर्टल के एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल के अन्तर्गत कार्मिकों की वार्षिक वेतन वृद्धि (Increment) अब अनिवार्यतः ई–सर्विस बुक में अद्यतन किये जाने के उपरान्त ही माह जनवरी एवं जुलाई के वेतन में देय होगी। तत्क्रम में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल में जुलाई माह में वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु अर्ह कार्मिकों की दिनांक 01.07.2026 की अंकना अनिवार्य रूप से अद्यतन किये जाने हेतु निम्न प्रक्रियानुरूप कार्यवाही की जायेगीः–

1. आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर डी०डी०ओ० लॉगईन आई0डी0 में ऑपरेटर द्वारा Payroll tab में Data Entry पर क्लिक करने पर Basic Pay Verification के अन्तर्गत प्रदर्शित डाटा में दिनांक 01.07.2026 को वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु अर्ह समस्त कार्मिकों का वर्तमान वेतन (31.12.2025), वेतन वृद्धि उपरान्त पुनरीक्षित वेतन सहित अन्य समस्त आवश्यक सूचनायें एक ग्रिड में प्रदर्शित होंगी।
2. ऑपरेटर द्वारा जांचोपरान्त पुनरीक्षित वेतन (Basic Pay after increment) सही पाये जाने की स्थिति में Yes बटन पर क्लिक करते हुये डाटा को Submit किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में No बटन पर क्लिक किया जाना होगा। तदोपरान्त दिनांक 31.12.2025 को आहरित वेतन में जिन भी कारणों (यथा पदोन्नति, एम०ए०सी०पी० आदि) से वेतन में संशोधन हुआ है, के आदेश अपलोड करते हुये लागू तिथि सहित पुनरीक्षित वेतन विवरण अंकित किया जायेगा। तदोपरान्त संशोधित वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि, जैसी भी स्थिति

हो अद्यतन की जायेगी। उपरोक्तानुसार वांछित समस्त विवरण अंकित किये जाने के उपरान्त डाटा को Submit किया जायेगा।

3. डी०डी०ओ० सुपरवाईजर द्वारा Approval menu के अन्तर्गत Basic Pay Verification Approval ऑप्शन में प्रदर्शित डाटा के परीक्षण उपरान्त सही पाये जाने की स्थिति में Approve किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में Return करते हुये Remarks Column में अभियुक्ति अंकित करते हुए डी०डी०ओ० ऑपरेटर स्तर पर वापिस किया जायेगा।
4. ऑफिसर स्तर से Approval menu के अन्तर्गत Basic Pay Verification Approval ऑप्शन में प्रदर्शित डाटा के परीक्षण उपरान्त सही पाये जाने की स्थिति में Approve कर E-Sign किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में Return करते हुये Remarks Column में अभियुक्ति अंकित कर डी०डी०ओ० ऑपरेटर स्तर पर वापिस किया जायेगा ।

3. उक्त के अतिरिक्त समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों/डी0डी0ओ0 को आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर 01.07.2026 को वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु अर्ह कार्मिकों के वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) का विवरण उपरिवर्णित प्रक्रिया अनुरूप ई–सर्विस बुक में **दिनांक 20.07.2026** तक अनिवार्य रूप से अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। विदित रहे कि उक्त प्रक्रिया सम्पन्न किये जाने के उपरान्त ही डी०डी०ओ० द्वारा माह जुलाई के वेतन आहरण से सम्बन्धित कार्यवाही आरम्भ की जा सकेगी।

कृपया, उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

Digitally signed by DILIP JAWALKAR
Date: 17-07-2026 11:42:39

(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/भुगतान एवं लेखा कार्यालय/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव